भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 248

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नागौर के पान मेथी को जीआई टैग

248. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नागौर की विश्व प्रसिद्ध पान मेथी को जीआई टैग प्रदान करने के लिए सरकार के पास कोई आवेदन लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का पान मेथी को वैश्विक मान्यता प्रदान करने और मेथी उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए इसे शीघ्रातिशीघ्र जीआई टैग प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री (जीआईआर) को कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी), केयूएमएस, बीकानेर रोड, नागौर, राजस्थान द्वारा "नागौरी पान मेथी" को भौगोलिक संकेतक प्रदान करने के लिए दिनांक 13.08.2024 को एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 22.08.2024 को आवेदकों को जारी की गई थी, जिसमें उल्लिखित कमियों का अनुपालन करने के लिए आवेदकों को लिखा गया, जिसका उत्तर दिनांक 25.01.2025 को दिया गया। तदनुसार, दिनांक 17.03.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई और आवेदकों को आवेदन को संशोधित करने और आवेदन में पाई गई कमियों अथवा खामियों को दूर करने का निर्देश दिया गया। आवेदकों ने दिनांक 07.05.2025 को इसका उत्तर दिया। विशेषज्ञ समिति द्वारा आवेदन के मूल्यांकन से पहले, आवेदन के लिए पूर्व सुनवाई दिनांक 04.08.2025 को निर्धारित की गई है।

(ख): किसी उत्पाद को जीआई दर्जा प्रदान करना माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 के दिशा निर्देशन में किया जाता है। केवल ऐसे उत्पादों जिनके आवेदन उक्त अधिनियम और नियमों के तहत विशिष्ट मानदंडों के अनुसार पात्र होते हैं, उनको भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया जाता है।

****